GOVERNMENT OF INDIA



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 4] दिल्ली, जनवरी 23—जनवरी 29, 2009, बृहस्पतिवार/पाघ 3-माघ 9, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 304, 308, 309] No. 4] DELHI, JANUARY 23— JANUARY 29, 2009, THURSDAY/MAGHA 3— MAGHA 9, 1930 [N.C.T.D. No. 304, 308, 309]

> भाग —IV PART –IV

भाग-। में सिम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

> राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण आदेश

दिल्ली, 19 जनवरी, 2009

सं. फा. 10 (464)/मु.स. (मुख्या)/स.श्./08/2815.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि सर्वश्री विकास प्रोफिन लिमिटेड, 34/1, विकास अपार्टमेंट्स, ईस्ट
पंजाबी बाग, दिल्ली-110026, द्वारा जारी किए जाने वाले
रुपये 2,85,17,370 मूल्य के इंक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या
50,02,201 से 78,53,937 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क
रुपये 28,518 (रुपये अट्ठाईस हजार पांच सौ अट्ठारह) केवल के
समेंकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

ORDER

Delhi, the 19th January, 2009

F. No. 10(464)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2815.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. VIKAS PROFIN LIMITED, 34/1, Vikas Appartments, East Punjabi Bagh, Delhi-110026 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 28,518 (Rs. Twenty Eight Thousand Five Hundred Eighteen) on the aggregate value of shares of Rs. 2,85,17,370 for equity share certificates with distinctive Nos. 50,02,201 to 78,53,937 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (460)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2819.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड
(ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,
दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि
सर्वश्री जॉरीजओ अरमानी इंडिया प्रा. लि., दी सेफायर, दूसरी मॉजिल,
बी 1/एफ 2, मोहन कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड,
नई दिल्ली-110044 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,99,00,000
मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 20,00,000
है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 19,900 (रुपये उन्नीस हजार
नौ सौ) के समेंकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(460)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2819.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Giorgio Armani India Private Limited, The Sapphire, 2nd Floor, B1/F2, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 19,900 (Rs. Nineteen Thousand Nine Hundred) on the aggregate value of shares of Rs. 1,99,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 20,00,000 be issued by the said company.

दिल्ली, 20 जनवरी, 2009

सं. फा. 10 (462)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2830.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिन्यम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री उप्पल आई टी प्रोजेक्ट प्रा. लि., बी-1, दी मीरा कार्पोटेट सूट्स, प्लाट नं. 1 एवं 2, पुराना ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110065 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 22,41,11,930 मूल्य के प्रिफरेन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,20,00,001 से 4,44,11,193 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2,24,112 (रुपये दो लाख चौबीस हजार एक सौ बारह) केवल के समेंकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 20th January, 2009

F. No. 10(462)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2830.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. UPPALS IT PROJECTS PRIVATE LIMITED, B-1, The Mira Corporate

Suites, Plot No. 1 & 2, Old Ishwar Nagar, New Delhi-11006. shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,24,112 (Rs. Two Lac Twenty Four Thousand One Hundred Twelve) on the aggregate value of shares of Rs. 22,41,11,930 for preference share certificates with distinctive Nos. 2,20,00,001 to 4,44,11,193 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (461)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2834.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप धारा(1) के खण्ड
(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,
दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि
सर्वश्री फोजल पावर प्रा. लि. चौदहवीं मंजिल, अंसल टावर, 38,
नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले
रुपये 3,68,99,500 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या
10,001 से 5,21,333 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 36,900
(रुपये छत्तीस हजार नौ सौ) के समेंकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान
उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(461)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2834.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Fozal Power Private, 14th Floor, Ansal Tower, 38, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 36,900 (Rs. Thirty Six Thousand Nine Hundred) on the aggregate value of shares of Rs. 3,68,99,500 for equity share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 5,21,333 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (457)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2838.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप धारा(1) के खण्ड
(ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,
दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि
सर्वश्री एमएमटीसी-पेम्प इंडिया प्रा. लि., 73, पश्चिमी मार्ग, वसन्त
विहार, नई दिल्ली-110017 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये
2,73,43,750 मूल्य के इिक्वटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001
से 27,44,375 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 27,344 (रुपये
सत्ताईस हजार तीन सौ चवालीस) केवल के समेंकित मुद्रांक शुल्क
का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(457)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2838.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899



of No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. MMTC-PAMP INDIA PRIVATE LIMITED, 73, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110 057 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 27,344/- (Rs. Twenty Seven Thousand Three Hundred Forty Four) on the aggregate value of shares of Rs.2,73,43,750/- for equity share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 27,44,375 by issued by the said company.

संशोधन आदेश

सं. फा. 10 (418)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2841.—
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली
सरकार के द्वारा जारी किये गये आदेश संख्या सं. फा. 10 (418)/मु.स.
(मुख्या)/स.शु./08/2200 दिनांक 15-12-2008, जिसके तहत मैसर्स
स्टेनले वर्क्स (इंडिया) प्रा. लि., डी-1007 बेसमेन्ट, न्यू फ्रेन्ड्स
कालोनी, नई दिल्ली-110065 द्वारा जारी किये जाने वाले रुपये
1,98,48,430 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 14,12,290
से 16,95,838 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 19,849 (रुपये
उन्नीस हजार आठ सौ उनचास) जमा कराने का आदेश दिया गया था
में आंशिक संशोधन किया जाता है । आंशिक संशोधन के उपरान्त
कम्पनी का नाम व पता इस प्रकार पढ़ा जाय : सर्वश्री स्टनेले वर्क्स
(इंडिया) प्रा.लि., 4/24ए, पहली मंजिल, ए.बी. हाउस, आसफ अली
रोड. नई दिल्ली-110 002

CORRIGENDUM

F. No. 10(418)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2841.—In partial modification of Notification Order issued *vide* F.No. 10(418)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2200 dated 15th December, 2008 issued by order of Chief Controlling Revenue Authority, Government of NCT of Delhi for the payment of consolidated stamp duty of Rs. 19,849/- (Rs. Nineteen Thousand Eight Hundred Forty Nine) on the aggregate value of shares of Rs. 1,98,48,4301/- by M/s. Stanley Works(India) Private Limited, D-1007 Basement, New Friends Colony, New Delhi-110 065 for equity shares bearing distinctive No. 14,12,290 to 16,95,838, the address of the company shall read as follows: M/s. Stanley Works(India) Private Limited, 4/24 A, First Floor, A. B. House, Asaf Ali Road, New Delhi-110 002.

दिल्ली, 21 जनवरी, 2009

सं. फा. 10 (465)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2849.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधि-नियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कोबोल टेक्नोलोजिज प्रा. लि., एन-23-बी, ब्लॉक-एन, डीडीए फ्लैट, साकेत, नई दिल्ली-110 017 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,68,10,000 मूल्य के फुल्ली कनवर्टीबल, डिबेन्चर (एफसीडी) जिनकी पृथक संख्या 555581 से 592390 है, पर लगने वाले मद्रांक शुल्क रुपये 92,025 (रुपये बानवे हजार पच्चीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 21st January, 2009

F. No. 10(465)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2849.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Cobol Technologies Private Limited, N-23-B, Block-N, DDA Flats, Saket, New Delhi-110 017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 92,025/- (Rs. Ninety Two Thousand Twenty Five) only on the aggregate value of debentures of Rs. 3,68,10,000/- for issue of Fully Convertible Debenture-(FCDs) bearing distinctive No. 555581 to 592390 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (471)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2850.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड
(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी राज्य
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि सर्वश्री अल्पस एनर्जी प्रा. लि., 64/1, एम.बी. रोड, नियर कम्युनिटी
सेंटर, लाडो सराय, नई दिल्ली-110030 द्वारा जारी किए जाने वाले
रुपये 1, 20,07,900/- मूल्य के प्रिफरेन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या
पी-1 से पी-1200790 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 12,008/(रुपये बारह हजार आठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का
भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(471)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2850.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Alps Energy Private Limited, 64/1, M.B. Road, Near Community Centre, Lado Sarai, New Delhi-110 030 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.12,008 (Rs. Twelve Thousand Eight) on the aggregate value of shares of Rs.1,20,07,900 for preference share certificates with distinctive Nos. P-01 to P-1200790 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (463)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2851.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स स्नोफ्लेक्स मेडिटेक प्रा. लि., 64/1, एम.बी. रोड, नियर कम्युनिटी सेंटर, लाडो सराय, नई दिल्ली-110 030 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1,22,63,900/- मूल्य के प्रिफरेन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या पी.-01 से पी-1226390 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 12, 264/- (रुपये बारह हजार दो सौ चौसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (463)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2851.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Snowflakes Meditech Private Limited, 64/1, M.B.Road, Near Community Centre, Lado Sarai, New Delhi-110030 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.12,264/- (Rs. Twelve Thousand Two Hundred Sixty Four) on the aggregate value of shares of Rs.1,22,63,900/- for preference share certificates with distinctive Nos. P-01 to P-1226390 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (472)/मु.स. (मुख्या)/स.श्./08/2852.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री तकाता इंडिया प्रा.लि., 303, बिल्डिंग नं. 10159, पदम सिंह रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 14,00,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,00,00,001 से 3,40,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,49,000/- (रुपये एक लाख चालीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (472)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2852.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Takata India Private Limited, 303, Building No. 10159, Padam Singh Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.1,40,000/- (Rs. One Lac Forty Thousand) on the aggregate value of shares of Rs.14,00,00,000/- for equity share certificates with distinctive Nos. 2,00,00,001 to 3,40,00,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (466)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2853.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की (1) के खप् (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एम. जे. लोजिस्टिक सर्विसस लि., ए-227 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 23,82, 23, 319/- मूल्य के प्रिफरेन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0001 से 5972 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 2, 38, 224/-(रुपये दो लाख अड़तीस हजार दो सौ चौबीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (466)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2853.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. M. J. LOGISTIC SERVICES LIMITED, A-227, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,38,224/- (Rs. Two Lac Thirty Eight Thousand Two Hundred Twenty Four) on the aggregate value of shares of Rs. 23,82,23,319/- for preference share certificates with distinctive Nos. 0001 to 5972 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (467)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2854.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी
राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि सर्वश्री पेनथरा डवलपर्स प्रा. लि., बी-1 दी मीरा कार्पोरेट सूट्स, प्लाट
न. 1 एवं 2, पुराना ईश्वर नगर, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले
रूपये 98,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या
10,001 से 9,90,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 9,800/(रुपये नौ हजार आठ सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का
भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (467)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2854.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Panthera Developers Private Limited, B-1, The Mira Corporate Suites, Plot No.1 & 2, Old Ishwar Nagar, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs.9,800/- (Rs. Nine Thousand Eight Hundred) on the aggregate value of shares of Rs. 98,00,000/- for equity bonus share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 9,90,000 be issued by the said company.

दिल्ली, 27 जनवरी, 2009

सं. फा. 10 (474)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2894.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम,
1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख)
द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि
सर्वश्री जेफरीज इंडिया प्रा. लि., दूसरी मंजिल, इरोज कोरपोरेट टावर,
नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये
2,75,41,520/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 22,45,849
से 50,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 27,542/- (रुपये
सताईस हजार पांच सौ बयालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का
भगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 27th January, 2009

No. F. 10(474)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2894.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Jefferies India Private Limited, 2nd floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.27,542/(Rs.Twenty seven Thousnd Five Hundred Forty Two) on the aggregate value of shares of Rs.2,75,41,50/- for equity share certificates with distinctive Nos. 22,45,849 to 50,00,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (334)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2903,—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम,
1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि
सर्वश्री उषा इंटरनेशनल लि., 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली
द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 14,46,60,270 मूल्य के इक्विटी
शेयरों जिनकी पृथक संख्या 11074320 से 25540346 है, पर लगने
वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,44,661 (रुपये एक लाख चौवालीस
हजार छ: सौ इकसठ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान
उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(334)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2903.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Usha International Limited, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,44,661/- (Rs. One Lac Forty Four Thousand Six Hundred Sixty One) on the

aggregate value of shares of Rs. 14,46,60,270 for equity share certificates with distinctive Nos. 11074320 to 25540346 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (483)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2905.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम,
1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि
सर्वश्री रियेटर इंडिया प्राल. 1005-1008, हेमकुन्ट टावर, 98, नेहरू
प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 81,99,99,696
मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,01,001 से 16,53,866
है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 8,20,000 (रुपये आठ लाख बीस
हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी
करेगी।

No. F. 10(483)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2905.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O.148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Rieter India Private Limited, 1005-1008, Hemkunt Tower, 98, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 8,20,000/- (Rs. Eight Lac Twenty Thousand) on the aggregate value of shares of Rs. 81,99,99,696/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 10,01,001 to 16,53,866 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (477)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2901,—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री यूएफआई फिल्टर्स इंडिया प्रा. लि., के—39, कनाट सर्कस, नई दिल्ली–110001 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,33,95,000 मूल्य के इक्विटी शेयर जिनकी पृथक संख्या 3,53,211 से 4,20,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 33,395 (रुपये तैंतीस हजार तीन सौ पंचानावे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्मनी करेगी।

No. F. 10(477)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2901.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. UFI Filters India Private Limited, K-39 Connaught Circus, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 33,395 (Rs. Thirty

414 DG/09-2

Three Thousand Three Hundred Ninty Five) on aggregate value of shares of Rs . 3,33,95,000/- for equity share certificates with distinctive Nos. 3,53,211 to 4,20,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (478)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2900.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम,
1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख)
द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि
सर्वश्री साइनोस्टील इंडिया प्रा. लि., बारहवी मंजिल, इरोज कोरपोरेट
टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले
रुपये 32,98,890 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या
40,00,001 से 43,29,899 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क
रुपये 3,299 (रुपये तीन हजार दो सौ निन्यानवें) केवल के समेकित
मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No. F. 10(478)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2900.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sinosteel India Private Limited, 12th Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,299 (Rs. Three thousand Two Hundred Ninety Nine) on the aggregate value of shares of Rs 32,98,890 for equity share certificates with distinctive Nos. 40,00,001 to 43,29,889 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (476)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2902.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम,
1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख)
द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि
सर्वश्री साइनोस्टील इंडिया रोल्स, प्रा. लि., बारहवीं मंजिल, इरोज
कोरपोरेट टावर, नेहरू प्लेस नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने
वाले रुपये 93,50,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1
से 9,35,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 9,350 (रुपये तीन
हजार तीन सौ पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त
कम्पनी करेगी।

No. F. 10(476)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2902.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sinosteel India Rolls Private Limited, 12th Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidation of Rs. 9,350 (Rs. Nine Thousand Three Hundred Fifty) on the aggregate value of shares of Rs. 93,50,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1 to 93,50,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (473)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2904.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री भारत संरचना वित्त कम्पनी लि., 1201–1207, नौरंग हाउस, कस्तूखा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,00,00,0000 मूल्य के अनसेक्योरड रिडीमेबल नन– कनवरटीबल टैक्सेबल बोण्डस जो कि (प्रोमोजरी नोट) के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 1 से 2000 (आईआईएफसीएल 2023 सीरीज–I, 2008–09) है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 30,00,000/–(रुपये तीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(473)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2904.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s India Infrastructure Finance Company Limited, 1201-1207, Naurang House, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 30,00,000/- (Rs. Thirty Lac) only on the aggregate value of Rs. 2,00,00,00,000/- for IIFCL 2023 Series I 2008-09 Unsecured Redeemable Non-convertible Taxable Bond in the form of promissory note with distinctive Nos. 1 to 2000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (491)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2928.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम,
1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र,
दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि
सर्वश्री सीटीकोर्प मारूती फाईनेंस लि., चौथी मंजिल, जीवन भारती
बिल्डिंग, ए-124, पार्लियामेंट स्ट्रीट, कनाट सर्कस, नई दिल्ली द्वारा
जारी किए जाने वाले रुपये 10,00,00,000 मूल्य के प्रिफरेन्स शेयरों
जिनकी पृथक संख्या 1,46,00,001 से 1,56,00,000 है, पर लगने
वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,00,000 (रुपये एक लाख) केवल के
समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(491)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2928.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Citicorp Maruti Finance Limited, 4th Floor, Jeevan Bharti Building, A-124, Parliament Street, Connaught Circus, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,00,000/- (Rs. One Lac) on the aggregate value of shares of Rs. 10,00,00,000/- for Perference Share certificates with distinctive Nos. 1,46,00,001 to 1,56,00,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10(493)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2927.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम,
1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख)
द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि
सर्वश्री ऊषा ब्रेको रियल्टी प्रा. लि., 701, सूर्या किरण बिल्डिंग, 19,
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले
रुपये 91,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या
1,00,001 से 10,10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये
9,100/- (रुपये नौ हजार एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क
का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(493)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2927.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Usha Breco Realty Private Limited, 701, Surya Kiran Building, 19, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 9,100 (Rs. Nine Thousand One Hundred) on the aggregate value of shares of Rs. 91,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 1,00,001 to 10,10,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (494)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2926.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम,
1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख)
द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि
सर्वश्री वेस्ले क्लोवर कम्यूनिकेशन सोलुशन्स प्रा. लि., 18, कोटला
लेन (एलजीएफ) राउज ऐवन्यू, नई दिल्ली-110002, द्वारा जारी किए
जाने वाले रुपये 46,30,600 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक
संख्या 10,001 से 4,73,060 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये
4,631 (रुपये चार हजार छ: सौ इक्कतीस) केवल के समेकित
मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(494)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2926.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Wesley Clover Communication Solutions Private Limited, 18, Kotla Lane (LGF), Rouse Avenue, New Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 4,631 (Rs. Four Thousand Six Hundred Thirty One) on the aggregate value of shares of Rs. 46,30,600 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 4,73,060 be issued by the said company.

सं. फा. 10(454)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2930.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम,
1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि
सर्वश्री ओटोकम्पु इंडिया प्रा.लि., 801-802, हेमकुन्ट टावर, 98,
नेहरू प्लेस, दिल्ली-110065, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये
14,09,50,000 मूल्य के इंक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5,00,001
से 01,45,95,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,40,950
(रुपये एक लाख चालीस हजार नौ सौ पचास) केवल के समेकित
मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(454)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2930.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Outokumpu India Private Limited, 801-802, Hemkunt Tower, 98, Nehru Place, Delhi-110065 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,40,950 (Rs. One Lac Forty Thousand Nine Hundred Fifty) on the aggregate value of shares of Rs. 14,09,50,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 5,00,001 to 01,45,95,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10(480)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2934.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पिठत भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम,
1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख)
द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि
सर्वश्री हल्दर टोपसो इंडिया प्रा.िल., चौथी मंजिल, टीडीआई सेंटर,
जसोला, नई दिल्ली-110025 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये
3,12,70,000 मूल्य के इिक्वटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 99,79,299
से 1,31,06,298 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 31,270
(रुपये इकतीस हजार दो सौ सत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क
का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(480)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2934.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Haldor Topsoe India Private Limited, 4th Floor, TDI Centre, Jasola, New Delhi-110025 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 31,270 (Rs. Thirty One Thousand Two Hundred Seventy) on the aggregate value of shares of Rs. 3,12,70,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 99,79,299 to 1,31,06,298 be issued by the said company.

सं. फा. 10(475)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2931.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम,
1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि
सर्वश्री जी एण्ड टी आयलिफल्ड एण्ड ओफशोर सर्विसेस प्रा. लि.,
एफ-4 एण्ड 5, त्रिवेणी कमर्शियल कम्प्लेक्स, शेख सराय, फेस-I,
नई दिल्ली-110017 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,85,87,820
मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,00,021 से 59,58,802
है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 58,588 (रुपये अट्ठावन
हजार पांच सौ अट्ठासी) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का
भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(475)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2931.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. G&T Oilfield and Offshore Services Pvt. Ltd., F-4 & 5, Triveni Commercial Complex, Sheikh Sarai, Phase-I, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 58,588 (Rs. Fifty Eight Thousand Five Hundred Eighty Eight) on the aggregate value of shares of Rs. 5,85,87,820 for equity share certificates with distinctive Nos. 1,00,021 to 59,58,802 be issued by the said company.

सं. फा. 10(492)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2929.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनंक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमैंन्ट सर्विसेस प्रा. लि., 11, संसद मार्ग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 60,00,00,000 मूल्य केइक्विये शेयरेंजिनकी पृथक संख्या 45,00,00,003 से 51,00,00,002 है, पर लगने वाले मुक्कं शुल्क रुपये 6,00,000 (रुपये छ: लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(492)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2929.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. SBI Cards and Payment Services Private Limited, 11, Sansad Marg, Parliament Street, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 6,00,000 (Rs. Six Lac) on the aggregate value of shares of Rs. 60,00,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 45,00,00,003 to 51,00,00,002 be issued by the said company.

सं. फा. 10(486)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2938.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम,
1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख)
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि
सर्वश्री स्टेट फार्म कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., फार्म भवन, 14–15,
नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये
1,24,42,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,41,898
से 14,86,097 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 12,44,200
(रुपये बारह लाख चवालीस हजार दो सौ) केवल के समेकित मुद्रांक
शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(486)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2938.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. State Farms Corporation of India Limited, Farm Bhavan, 14-15, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 12,44,200 (Rs. Twelve Lac Forty Four Thousand Two Hundred) on the aggregate value of shares of Rs. 1,24,42,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 2,41,898 to 14,86,097 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (484)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./08/2936.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि सर्वश्री अपोडिस होटल्स एण्ड रिसोंट्स लि., बी-1, दी मीरा
कार्पोरेट सूट्स, प्लाट 1 एवं 2, ओल्ड ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110065,
द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 5,00,000/- मूल्य के इिक्वटी शेयरों
जिनकी पृथक संख्या 1 से 50,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क
रुपये 500/- (रुपये पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का
भगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (484)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2936.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Apodis Hotels & Resorts Limited, B-1, The Mira Corporate Suites, Plot No. 1 & 2, Old Ishwar Nagar, New Delhi-110065 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 500 (Rs. Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 5,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 1 to 50,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10(479)/मु.स. (मुख्या)/स.शू./08/2935.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निरंश देते हैं कि
सर्वश्री प्राइम एनर्जी प्रा. लि., 302-303, किम्पटेंट हाउस, एफ-14,
मिडिल सर्कल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किए
जाने वाले रुपये 1,26,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक
संख्या 25,43,687 से 34,43,686 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क
रुपये 12,600 (रुपये बारह हजार छ: सौ) केवल के समेकित मुद्रांक
शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से, विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

F. No. 10 (479)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2935.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, New Delhi hereby directs that M/s. Prime Energy Private Limited, 302-303, Competent House, F-14, Middle Circle, Connaught Place, Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 12,600 (Rs. Twelve Thousand Six Hundred)only on the aggregate value of shares of Rs. 1,26,00,000 for Equity Share certificates with distinctive Nos. 25,43,687 to 34,43,686 be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi
VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)